

सं०सं०-1/व०आ०सं०अ०-02/2017-82(1) ल०
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक 08-01-2018

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र तथा आय-व्ययक से प्राप्त विभिन्न मदों में कुल रु० 4,99,06,000/- मात्र अर्थात् कुल रु० 5,01,56,000/- (रुपये पाँच करोड़ एक लाख छप्पन हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के पत्रांक-624, दिनांक-16.12.2017 के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु० 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र तथा आय-व्ययक से प्राप्त विभिन्न मदों में कुल रु० 4,99,06,000/- मात्र अर्थात् कुल रु० 5,01,56,000/- (रुपये पाँच करोड़ एक लाख छप्पन हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0021-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210011100021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त एवं आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

←→

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

03/11/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0अ0-02/2017-82(1)ब0/स्वा0, पटना, दिनांक- 08-01-2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रमारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/11/18

सरकार के विशेष सचिव

वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड- 20-2210011100021 को वित्तीय वर्ष
2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0021.01.01 वेतन	20000000	0	20000000	15000000	5000000	20000000	0
0021.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0	0	0
0021.01.03 जीवन यापन भत्ता	26136000	0	26136000	19602000	6534000	26136000	0
0021.01.04 मकान किराया भत्ता	2476000	0	2476000	1857000	619000	2476000	0
0021.01.05 परिवहन भत्ता	600000	0	600000	450000	150000	600000	0
0021.01.06 चिकित्सा भत्ता	230000	0	230000	172500	57500	230000	0
0021.01.07 अन्य भत्ता	880000	0	880000	660000	220000	880000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	50322000	0	50322000	37741500	12580500	50322000	0
0021.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000	0	1000	500	500	1000	0
0021.11.01 यात्रा व्यय	200000	0	200000	100000	100000	200000	0
0021.13.01 कार्यालय व्यय	1000000	0	1000000	500000	500000	1000000	0
0021.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	250000	0	250000	125000	125000	250000	0
0021.13.03 दूरभाष	200000	0	200000	100000	100000	200000	0
0021.13.04 विद्युत प्रभार	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0
0021.13.05 विधि प्रभार	1000	0	1000	1000	0	1000	0
0021.13.06 वर्दी/पोशाक	200000	0	200000	100000	100000	200000	0
0021.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	250000	250000	0	250000	250000	0
0021.14.01 किराया महसूल एवं कर	5000	0	5000	5000	0	5000	0
0021.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	0	100000	50000	50000	100000	0
0021.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	0	100000	50000	50000	100000	0
0021.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	0	100000	50000	50000	100000	0
0021.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	10000000	0	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0021.21.02 दवा भण्डार	30000000	0	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0021.21.03 आहार/ पथ्य	5000000	0	5000000	3750000	1250000	5000000	0
0021.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0	0	0
0021.28.02 संविदा सेवायें	50000000	0	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0021.52.01 मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय	20000000	0	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योग-	177479000	250000	177729000	127573000	50156000	177729000	0

(रुपये पाँच करोड़ एक लाख छप्पन हजार)

82(1) लख
08-01-2018

सरकार के विशेष सचिव
03/01/18